



लैंगिक अल्पसंख्यकों का हाशयिकरण

यह एडटीरयिल दनिंग 28/06/2021 को द हृदि में प्रकाशित लेख "On the margins with full equality still out of reach" पर आधारित है। यह लेख LGBTQ+ समुदाय के साथ जुड़े मुददों से संबंधित है।

वर्ष 1970 के दशक के दौरान समलैंगिकता को एक मानसिक विकार के रूप में माना जाता था लेकिन 1970 के दशक के बाद डॉ. फ्रैंक कामेनी जैसे कई सामाजिक कार्यकरताओं के प्रयासों से वैश्विक [LGBTQ+](#) समुदाय अपने अधिकारों और समान स्थितिके लिये आगे बढ़ा।

हालाँकि भारत में समलैंगिक समुदाय अभी भी एक कलंकति और अदृश्य अल्पसंख्यक है। इसके अलावा जो कुछ भी लाभ समलैंगिक समुदाय को प्राप्त हुआ है वह न्यायपालिका द्वारा प्रदान किया गया है; विधियकियों द्वारा नहीं।

अभी तक हुए न्यायिक नियमों के बावजूद भारत के लैंगिक अल्पसंख्यकों को रोज़गार, स्वास्थ्य के मुददों और व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह इसे देश के उदार और समावेशी संविधान के साथ असंगत बनाता है।

LGBTQ+ के कल्याण में न्यायपालिका की भूमिका

- समाज की पारंपरिक अवधारणा की मांग और व्यक्तियों के अधिकारों तथा उनकी पहचान एवं सम्मान के बीच रस्साकशी के बीच उच्च न्यायपालिका ने नागरिक कल्याण को महत्वपूर्ण प्रदान किया है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों में दर्शाया जा सकता है:
 - नाज़ फारंडेशन बनाम एनसीटी ऑफ दलिली केस 2009: दलिली उच्च न्यायालय के नियमों में कहा गया है कि भारतीय दंड संहति (आईपीसी) की [धारा 377](#) संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार को ठेस पहुँचाती है क्योंकि यह एक अनुचित वर्गीकरण करता है और एक वर्ग के रूप में समलैंगिकों को लक्षित करता है।
 - [राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ केस 2014](#): इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने द्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'थ्रड जेंडर' घोषित किया।
 - नवतेज़ सहि जौहर व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018: इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नियमों में माना कि वियसकों के बीच सहमति से समलैंगिक व्यवहार को अपराध मानना (आईपीसी की धारा 377 के तहत), "अस्वैधानिक, तरक्कीन, अनशीचित और स्पष्ट रूप से मनमाना" था।
 - इस नियम ने भारत में LGBTQ+ समुदाय को न्याय प्राप्त करने और समलैंगिक मुक्तिआंदोलन के लिये एक आधार प्रदान किया है।

LGBTQ+ के खलिक भेदभाव

- पूरण समानता अभी भी दूर है: उच्च न्यायपालिका के विभिन्न नियमों के बावजूद भारत में समलैंगिक समुदाय अभी भी रोज़गार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में भेदभाव का सामना करता है।
- कानूनी मंजूरी का विरोध: भारत संघ द्वारा हाल ही में भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मंजूरी देने के कदम का विरोध किया गया है।
 - सरकार ने कहा कि भारतीय दंड संहति की धारा 377 को अस्वैधानिक घोषित करना स्वतः ही समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मौलिक अधिकार नहीं बनाता है।
- विषम लैंगिकता: विषम लैंगिकता हेटेरोसेक्ससिम (hetero-sexism) और होमोफोबिया (homophobia) का मूल कारण है।
 - विषम लैंगिकता को लेकर यह विश्वास जताया जाता है कि यौन अभिन्नियास का दोषपूरण, पसंदीदा या सामान्य तरीका है।
 - यह लगि बाइनरी को मानता है (यानी केवल दो अलग विपरीत लगि हैं) और विपरीत लगि के लोगों के बीच यौन एवं वैवाहिक संबंध ही सबसे उपयुक्त है।
- द्रांसजेंडर अधिनियम के मुद्दे: संसद ने [द्रांसजेंडर व्यक्ति \(अधिकारों का संरक्षण\) विधियक, 2019](#) पारित किया है, जिसे द्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिये तैयार किया गया था।
 - हालाँकि LGBTQ+ समुदाय ने इस अधिनियम का विरोध किया, जिसमें सभी के लिये एक समान वृष्टिकीण, आरक्षण की अनुपस्थिति आदि मुद्दे शामिल हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परभाषिति करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विद्युद्ध वभिद का प्रतिषिधि करना।
- ऐसे व्यक्तिको उस रूप में मान्यता देने के लिये अधिकार प्रदत्त करने और स्वतः अनुभव की जाने वाली लगि पहचान का अधिकार प्रदत्त करना।
- पहचान-पत्र जारी करना।
- यह उपबंध करना का ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कसी भी स्थापन में नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों के विषय में वभिद का सामना न करना पड़े।
- प्रत्येक स्थापन में शक्तियां निवारण तंत्र स्थापति करना।
- विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना।

आगे की राह

- **मैरजि ए हयूमन राइट:** अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एंथनी कैनेडी ने ओब्रगफेल बनाम होजेस मामले (2015) में विवाह संस्था के भावनात्मक और सामाजिक मूल्य को रेखांकित किया।
 - उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि समान लगि वाले जोड़े को विवाह के सार्वभौमिक मानव अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहयि।
 - वर्ष 2021 तक 29 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया और मान्यता दी गई है।
 - इस प्रकार भारतीय समाज और राज्य को बदलती प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बढ़ाना चाहयि।
- **अनुच्छेद 15 में सशोधन:** अनुच्छेद 15 इस अवधारणा की आधारशिला है कि समानता भेदभाव का विरोध करती है।
 - यह नागरिकों को धरम, नस्ल, जाति, लगि या जन्म स्थान या इनमें से कसी के आधार पर राज्य द्वारा हर तरह के भेदभाव से बचाता है।
 - यौन अल्पसंख्यकों के विद्युद्ध भेदभाव को रोकने के लिये गैर-भेदभाव के आधार को लगि और यौन अभिन्नियास तक वसितारति किया जाना चाहयि।
- **व्यवहार प्रविरत्न को प्रेरिति करना:** न्यायमूर्ति रिहिटिन एफ. नरीमन ने नवतेज सहि जौहर मामले में सरकार को नरिदेश दिया था कि विह जनसंचार माध्यमों और आधिकारिक बैनल के माध्यम से LGBTQ+ समुदाय से जुड़े कलंक को समाप्त करने के लिये पुलसि अधिकारियों सहित आम जनता तथा अधिकारियों को संवेदनशील बनाए।
 - स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को भी विषम लैंगिकता के मधिक को तोड़ने के लिये लैंगिकता की विधिता के बारे में जागरूक किया जाना चाहयि।

नष्टिकरण

- भारत के संस्थापकों ने संवधिन की कल्पना मौलिक अधिकारों के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में की थी। हालाँकि LGBTQ+ अभी भी नागरिकों के सबसे हाशयि पर खड़े वर्गों में से एक है।
- इसलिये यह बदलाव का समय है लेकिन इस बदलाव का बोझ केवल हाशयि पर स्थिति लोगों के ऊपर नहीं डाला जाना चाहयि। इस दायतिव का नरिवहन नागरिक समाज, संबंधित नागरिकों और स्वयं LGBTQ+ समुदाय को मलिकर करना चाहयि।

दृष्टिभिन्न प्रश्न: न्यायिक फैसलों के बावजूद भारत के लैंगिक अल्पसंख्यकों को रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दों और व्यक्तिगत अधिकारों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चर्चा कीजिये।